

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला/बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का हस्ताक्षर
युक्त नूतन फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. वर्तमान पता.....
..... दूरभाष.....
4. स्थायी पता.....
.....
5. आयु के प्रमाण हेतु जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न (√ करें)
6. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न (√ करें)
7. कोर्स का नाम, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है (कोई एक)- (√ करें)
(1) राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT)-
(2) 'डिजिटल सहेली' "Elementary Computer Education for Women (ECEW)"-
8. आई.टी. ज्ञान केंद्र का नाम (1)
(जहां प्रशिक्षण चाहती है) (2)
9. क्या प्रशिक्षणार्थी निम्न में से किसी समूह अथवा मंडल की सदस्य है (√ करें)
(1) स्वयं सहायता समूह
(2) किशोरी बालिका मंडल

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही व सत्य है तथा इस योजना में मैंने किसी और केंद्र पर आवेदन नहीं किया है।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

—आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश—

पाठ्यक्रम—

1- राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT)-

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16-45 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

2. 'डिजिटल सहेली' "Elementary Computer Education for Women (ECEW)"-

- प्रशिक्षण 50 घंटे (1 माह) की अवधि का होगा।
- 11-50 वर्ष तक की आयु वर्ग की 5वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रक्रिया—

- दोनों प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र एवं पूर्ण प्रशिक्षण निशुल्क है, इनके लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी।
- प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा।
- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in या www.rkcl.in की वेबसाईट अथवा अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, प्रचेता या RKCL द्वारा संचालित IT ज्ञान केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र को आवश्यक शैक्षणिक व आयु संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रचेता, महिला पर्यवेक्षक या RKCL द्वारा मान्यता प्राप्त IT ज्ञान केंद्र अथवा जिले के उपनिदेशक को व्यक्तिशः या डाक द्वारा जमा कराना होगा।
- RKCL द्वारा मान्यता प्राप्त IT ज्ञान केंद्रों की संलग्न सूची अनुसार कोई भी 2 केंद्रों के नाम आवेदन पत्र में लिखे।